>

Title: Need to ensure proper utilisation of funds sanctioned for welfare schemes meant for Adivasis in the country.

श्री मनसुखभाई डी. वसावा (भरूच): भारत सरकार ने जनजाति विशेषकर जंगलों में रहने वाली आदिवासियों के कल्याण एवं उनकी सुविधाएं दिलाए जाने के लिए कई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं चला रखी हैं परंतु उन तक इन योजनाओं का 15 प्रतिशत का भाग भी नहीं पहुंच रहा है। इस तरह से अनुसूचित जनजाति की योजनाओं में आवंटित धन का दुरूपयोग हो रहा है। केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों एवं दी जा रही धनराशि का उपयोग समुचित ढंग से किया जाना चाहिए। यदि जनजाति मंत्रालय के कार्यों की समीक्षा की जाए तो तथ्य उजागर हो पाएंगे। कई सांसद जो आदिवासी बहुल क्षेत्रों से इस सदन में आते हैं उन्होंने अनुसूचित जनजाति के कल्याण योजनाओं में आवंटित धन एवं उनके उपयोग के बारे में जानकारी मांगी है, परंतु उनको नियमानुसार जानकारी उपलब्ध नहीं की जाती है। इस संबंध में, मैं केन्द्रीय मंत्री जी से कई बार मिल चुका हूं एवं इसे अनुसूचित जनजाति की बैठक में उठा चुका हूं। इसके बाद इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

यह अनुरोध है कि उपरोक्त योजनाओं में आवंटित धन एवं उसके उपयोग की सूचना उन सभी सांसदों को दी जाए जिन्होंने इसकी मांग की है और इन कार्यों की समीक्षा भी करवाई जाए एवं समीक्षा के बाद जो अधिकारी जिम्मेदार पाए जाएं उनके खिलाफ शीघ्र कार्यवाही की जाए।